न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह– सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–06 / 2022

धीरज कुमार, रोहतास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद धीरज कुमार, पिता– श्री सतेन्द्र सिंह, ग्राम–महापुर, थाना–नोखा, जिला–रोहतास द्वारा वन वाद सं0–10 / 2021 में जिला दंडाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा दिनांक–12.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद की संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–08.03.2020 को श्री बाल्मिकी सिंह, वनपाल दरिगाँव वन परिसर अपने सहयोगी वनकर्मी एवं सशस्त्र बल के साथ विभागीय वाहन से अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सासाराम वन प्रक्षेत्र अंतर्गत घटमापुर एवं अमरी सुरक्षित वन क्षेत्र में गस्ती पर थे। गस्ती के क्रम में थानाध्यक्ष, सासाराम (मु0) थाना के द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुआ कि उनके द्वारा पुरानी जी0टी0 रोड, चाँदनी चौक के पास पत्थर मेटल लदे 02 वाहनों को जाँच / सत्यापन हेतु रोककर रखा गया है।

वन गस्ती दल द्वारा घटना स्थल पर पहुँचने एवं थानाध्यक्ष, सासाराम (मु0) थाना के समक्ष 02 वाहनों (ट्रक) के उपर लदा पत्थर मेटल के जाँचोपरांत पाया गया कि वाहन (1) ट्रक (10 चक्का), निबंधन सं0–CG-12C-2281, चेचिस नं0–426031ITZ758502 (2) ट्रक (10 चक्का), निबंधन सं0–BR-24G-1035, चेचिस नं0–426031GRZ126122 पर फाजिलपुर अधिसूचित (अधिसूचना संख्या–595-A/F-AQ.5/69, दिनांक–21.02.1969) सुरक्षित वन क्षेत्र के पत्थर से अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल (600–600 घनफुट) लोड है।

तदोपरांत वाहन (1) ट्रक (10 चक्का), निबंधन सं0– CG-12C-2281, चेचिस नं0–426031ITZ758502 (2) ट्रक (10 चक्का), निबंधन सं0– BR-24G-1035, चेचिस नं0–426031GRZ126122 को फाजिलपुर अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र से अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल के अवैध परिवहन में संलिप्त होने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन, 1990) अधिनियम, 1927 की धारा 33, 41 एवं 42 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52 के तहत जप्त किया गया एवं घटना स्थल पर जप्ती सूची तैयार की गयी।

जप्त वन पदार्थ एवं वाहन न्यायालय प्रदर्श हेतु सासाराम वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर में लाकर सुरक्षार्थ रखा गया है। जप्ती सूची की एक प्रति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम (रोहतास) को देते हुए उसकी द्वितीय प्रति प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के अधिहरण न्यायालय में समर्पित की गई।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, सासाराम वन प्रक्षेत्र के अनुरोध पर धारा 52(3) के तहत जप्ती सूची क्रम सं0–2 में अंकित वाहन ट्रक (10 चक्का), निबंधन सं0– BR-24G-1035, चेचिस नं0– 426031GRZ126122 एवं उसके उपर लदे 600 घनफुट पत्थर मेटल पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के अधिहरण न्यायालय में अधिहरण वाद सं0–22/2020 B की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

अधिहरण न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई की गयी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रि० अपील संख्या–668/2000, कर्नाटक सरकार बनाम के० कृष्णन, सिविल अपील संख्या–991/2002 बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम महुआ सरकार, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मनोज कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य [2004(16)AIC528] तथा उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दीपक कुमार बनाम झारखंड राज्य [2004(23)AIC2005(Jhar.)] में दिये गये Order/Observations एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क/दलीलों एवं अभिलेखों के आधार पर दिनांक–08.03.2021 को आदेश पारित किया गया तथा जप्त वाहन, ट्रक (10 चक्का), निबंधन सं0– BR-24G-1035, चेचिस नं0– 426031GRZ126122 एवं उसके उपर लदे 600 घनफीट पत्थर मेटल को अवैध खनन एवं अवैध परिवहन में संलिप्त रहने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन, 1990) अधिनियम, 1927 की धारा–52(3) में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में अधिहरित किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा अधिहरण न्यायालय से दिनांक–08.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के अपीलीय न्यायालय में वन अधिहरण वाद सं0–10/2021: धीरज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक–12.04.2022 को समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, रोहतास द्वारा अन्तिम आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–12.04.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन न्यायालय में दिनांक–03.08.2022 को रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजनवाद संख्या–06/2022: धीरज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

रिविजन न्यायालय द्वारा दायर रिविजन याचिका, अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला दण्डाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा वन अधिहरण वाद सं0–10/2021 में दिनांक–12.04.2022 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम द्वार अधिहरण वाद सं0–22/2020 (B) में दिनांक–08.03.2021 को पारित आदेश प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस से निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट होते हैः–

1. रिविजनकर्त्ता का वाहन ट्रक (10 चक्का), निबंधन सं0– BR-24G-1035, चेचिस नं0–426031GRZ126122 जिसपर लदे 600 घनफुट पत्थर मेटल को पुरानी जी०टी० रोड, चाँदनी चौक के पास जो कि फाजिलपुर अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र के पास है, पकड़ा गया है।

2. वाहन पर लदे पत्थर मेटल साईज गिट्टी के परिवहन से संबंधित वैध कागजात वाहन की तलाशी के क्रम में नहीं पाया गया।

3. गश्ती दल द्वारा घटना स्थल पर वाहन के उपर लदे पत्थर मेटल को जाँच करने पर पाया गया कि उक्त पत्थर मेटल अमरी अधिसूचित सुरक्षित वन क्षेत्र के पत्थर से अवैध उत्खनित एवं रूपांतरित पत्थर मेटल साईज गिट्टी है।

उक्त आधार पर रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें।

ह०/–
27.03.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह०/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–06/2022................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– श्री धीरज कुमार, पिता–श्री सत्येन्द्र सिंह, ग्राम–महापुर, थाना–नोखा, जिला–रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–06 / 2022................ / प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, रोहतास (सासाराम) / वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–06 / 2022 1571 / प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 01/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/25

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी